मौलिक कर्तव्य

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। (86 वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया)

Scanned by TapScanner

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

Scanned by TapScanner

संविधान की आत्मा है। एम०आर० पोलैण्ड ने ठीक ही कहा है, "यह (प्रस्तावना) संविधान का अंग नहीं है, परन्तु फिर भी संविधान के स्रोतों, आदर्शों, लक्ष्यों और राजनीतिक ढाँचे आदि की घोषणा करती है।"

नीति निर्देशक तत्त्व
(Directive Principles)

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत 'राज्य नीति के निर्देशक तत्त्व' के नाम से राज्य के पथ-प्रदर्शन के लिए कुछ तत्त्वों या सिद्धान्तों की व्यवस्था की गयी है। इन नीति निर्देशक तत्त्वों का उल्लेख संविधान के चतुर्थ भाग में किया गया है। अनुच्छेद 37 में इन नीति निर्देशक तत्त्वों के विषय में कहा गया है कि, "इस भाग (4) में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किन्तु फिर भी इसमें दिये गये तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्त्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य है।"

संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्त्वों के माध्यम से एक दिशा की ओर संकेत किया है जिसका अनुसरण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कानून निर्माण और प्रशासन के सम्बन्ध में किया जाना चाहिए। वस्तुत: संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इनका महत्त्व बहुत अधिक है। इनका लक्ष्य है—आर्थिक और सामाजिक न्याय या दूसरे शब्दों में आर्थिक और सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना। ये भारतीय राजनीति के सर्वोच्च सिद्धान्त हैं। नैतिक आदर्शों के रूप में इनका अपार महत्त्व है। संविधान की व्याख्या में यह अत्यधिक सहायक हैं। ये शासन की सफलता व असफलता का जनता द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन का आधार हैं। यद्यपि इनको न्यायालय द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है, जो लोकतन्त्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। नीति निर्देशक तत्त्वों के महत्त्व के सम्बन्ध में अनेक संविधान विशेषज्ञों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों ने समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, कतिपय विचार निम्न प्रकार हैं—

न्यायाधीश केनिया—"क्योंकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व संविधान में शामिल हैं, इसलिए वे बहुमत दल के अस्थायी आदेश मात्र ही नहीं हैं, वरन् उनमें राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो संविधान सभा के माध्यम से व्यक्त हुयी थी।"

एल०जी० खेडेकर—"नीति निर्देशक तत्त्व वह आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी।"

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद—"राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है।"

डॉ० अम्बेडकर—"मेरे विचार से निर्देशक तत्त्वों का बड़ा महत्त्व है क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक प्रजातन्त्र है। हम यह नहीं चाहते थे कि संविधान में वर्णित विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल संसदीय पद्धति के शासन की स्थापना हो जाये और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निर्देश न रहे। अतएव हमने जानबूझकर निर्देशक तत्त्वों को अपने संविधान में सम्मिलित किया है।"

राघवाचारी—"जो भी शासन सत्ता पर आधिपत्य बना ले, उसे इस अनुदेश-पत्र का सम्मान करना ही होगा—आगामी आम चुनाव में उसे इस सम्बन्ध में निर्वाचकों को जवाब देना ही होगा।"

अल्लादीकृष्णास्वामी अय्यर—"कोई भी लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबन्धों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता।"

प्रो० पायली—"ये निर्देशक तत्त्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्त्वों का उल्लंघन किया जाता है, वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं।"

Scanned by TapScanner

प्रो० एलेक्जेण्ड्रोविच–"चूँकि निर्देशन तत्त्वों में संविधान सभा की आर्थिक और सामाजिक नीति की रही है और क्योंकि उसमें हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए हमारे न्यायालयों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे मौलिक अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धों की व्याख्या करते समय राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का पूरा-पूरा ध्यान रखें।"

एम०सी० सीतलवाड़–"राज्य नीति के इन मूलभूत तत्त्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होते हुये भी इनके द्वारा न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तम्भ का कार्य किया जाता है।"

निर्देशक तत्त्वों का वर्गीकरण
(Classification of Directive Principles)

राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का वर्णन संविधान की धारा 38 से 51 तक किया गया है। ये निर्देशक तत्त्व निम्न प्रकार हैं–

1. आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशक तत्त्व

भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस दृष्टि से जिन तत्त्वों के द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है, वे निम्न प्रकार हैं–

1. राज्य पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा।
2. राज्य पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा।
3. राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सकें।
4. राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केन्द्रीयकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे।
5. राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक परिस्थितियोंवश दुरुपयोग न होने देगा।
6. राज्य बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें प्रदान करेगा, उन्हें स्वतन्त्रता और सम्मान की स्थिति प्रदान करेगा तथा बच्चों और युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा।
7. राज्य यह प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े।
8. राज्य अपने आर्थिक साधनों और विकास की सीमाओं के अनुरूप यह प्रयत्न करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निशक्तता आदि की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें।
9. राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों सम्बन्धी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा, वरन् विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुये व्यक्तियों और समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों सम्बन्धी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा।

Scanned by TapScanner

2. कृषि, कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत सम्बन्धी निर्देशक तत्त्व

1. राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों की व्यवस्था करेगा।
2. राज्य पशुपालन की आधुनिक प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गायों, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले और यातायात में काम आने वाले पशुओं की नस्लों के सुधार तथा उनके वध पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करेगा।
3. राज्य गाँवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा।
4. राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे हुये मजदूरों को अपने जीवन-निर्वाह के लिए यथोचित वेतन प्राप्त हो सके, उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो सके, वे अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें और उनको सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें।
5. राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए प्रयत्न करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं।

3. स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण सम्बन्धी निर्देशक तत्त्व

1. राज्य अपने नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा तथा मादक द्रव्यों के प्रयोग को, केवल चिकित्सा के उपयोग को छोड़कर, प्रतिबन्धित करेगा।
2. राज्य संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के अन्दर चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।
3. राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा सम्वर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

4. न्याय, सामाजिक हित और स्मारकों की रक्षा से सम्बन्धित निर्देशक तत्त्व

1. राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कदम उठायेगा।
2. राज्य देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।
3. राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय की प्राप्ति में सहायक हो ओर उचित व्यवस्था, योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए नि-शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा जिससे आर्थिक रूप से असमर्थ या अन्य किसी कारण से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।
4. राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठायेगा।
5. राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
6. राज्य राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गये कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का हर प्रकार से संरक्षण करेगा।

5. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित निर्देशक तत्त्व

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

Scanned by TapScanner

2. राज्य, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करेगा।
3. राज्य, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून और सन्धियों के प्रति सम्मान विकसित करने का प्रयत्न करेगा।
4. राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित धारायें
(Articles Related to Education)

भारतीय संविधान में ऐसी अनेक धारायें और प्रावधान हैं, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। ये निम्न प्रकार हैं–

धारा 28(1)–राज्य निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

Article 28(1)–No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds.

धारा 29(1)–भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाये रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

Article 29(1)–Any Section of the citizens residing in the territory of India or any part there of having a district language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

धारा 19(2)–राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा।

Article 29(2)–No citizen shall be admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

धारा 30(1)–सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वह धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार होगा।

Article 30(1)–All Minorities, whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

धारा 30(2)–शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह शिक्षा संस्था किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित की जा रही है।

Article 30(2)–The state shall not in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language.

धारा 41–राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अन्तर्गत काम प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, वृद्धावस्था नि:शक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावशाली प्रावधान करेगा।

Article 41–The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undereserved want.

Scanned by TapScanner

धारा 45—राज्य संविधान के लागू होने से दस वर्ष के अन्दर चौदह वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

Article 45—The state shall endevour to provide, within a period of ten years from the commencement of the constitution, for free and compulsory education for all children uptil they complete the age of forteen years.

धारा 46—राज्य जनता के निर्बल वर्गों विशेषत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।

Article 46—The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular of scheduled castes and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of explaitation.

धारा 343—संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

Article 343—The official language of the union shall be Hindi in Devanagari secript.

धारा 350(अ)—प्रत्येक राज्य और राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधायें प्रदान करेगा।

धारा 351—हिन्दी भाषा की अभिवृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा जिससे वह भारत की संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Scanned by TapScanner

संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान
(Provisions related to Education in the Constitution)

व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के लिए शिक्षा का वड़ा महत्व है, इसके अभाव में न कोई व्यक्ति विकास कर सकता है और न कोई समाज तथा राष्ट्र विकास कर सकता है अतः इसकी आवश्यकता को हमारे संविधान निर्माताओं ने भी महसूस किया और भारतीय संविधान में उन तत्त्वों को सम्मिलित किया जिसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई। संविधान में अनेक उपवन्ध एवं अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका भारतीय शिक्षा से सीधा या परोक्ष रूप से सम्वन्ध है। 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य का विषय थी। 42वें संविधान संशोधन कानून के अन्तर्गत यह समवर्ती सूची (concurrent list) का हिस्सा वन गयी। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किये गये थे। इस 42वें संशोधन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अभी तक शिक्षा पूर्णतया राज्यों का विषय थी मात्र उच्च शिक्षा के संदर्भ में केन्द्र को विशेषाधिकार दिये गये थे पर इस संशोधन के द्वारा शिक्षा का हर क्षेत्र केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके अलावा यह प्रावधान है कि केन्द्र राज्यों को निर्देशन दे सकता है, केन्द्र को राज्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण वनाता है। शिक्षा से सम्वन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं-

(1) निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा- (धारा 45) (Free and Compulsory Education)– राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व संविधान का वह भाग है जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी भारत के निर्माण करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सुझाव दिये हैं। इन्हीं निर्देशक तत्त्वों में 45वीं धारा के अनुसार 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी वालकों हेतु संविधान लागू होने से 10 वर्ष के भीतर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा (Universal free compulsory education) की व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अत्यन्त दुख का विषय है कि आज तक इस निर्देश का पूर्णरूप से क्रियान्वयन सरकारें नहीं कर पायी हैं। सत्तारूढ़ प्रत्येक सरकार द्वारा इसके लिए अनेक प्रयास किये जाते हैं पर विभिन्न समस्याओं के कारण इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान सरकार भी इसके लिए गम्भीरता से प्रयासरत है।

(2) अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा (Education of Minorities) **(धारा 30)**- धारा 30 (1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थायें स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार है। धारा 34 (2) के अनुसार- अनुदान देते समय इन स्कूलों के साथ इसलिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में हैं।

(3) भाषा सम्बन्धी प्रावधान (Provisions for Language)- धारा 29 (1) व 350 (B)) धारा ख (1) के अनुसार प्रत्येक ऐसे समूह को अपनी विशेष भाषा, लिपियों व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा जो भारत के निवासी व नागरिक हैं। भाषायी अल्पवर्ग के लिए धारा 350 (B) के अन्तर्गत एक विशिष्ट अफसर की नियुक्ति का प्रावधान करता है जो संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त संरक्षण सम्वन्धी मामले की जाँच कर सके।

(4) कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा (Education for Weaker Section)- कमजोर वर्गों की शिक्षा सम्बन्धी धारायें निम्नलिखित हैं-

धारा (17)– अस्पृश्यता निवारण किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है।

Scanned by TapScanner

धारा (15)– हिन्दुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा ...

धारा (24)– 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

धारा (23)– मनुष्य के क्रय-विक्रय व बेगार पर रोक लगी रहेगी।

धारा (16 व 335)- राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी।

धारा (46)– पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। यह धारा राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व के अन्दर आती है।

(5) धर्म निरपेक्ष शिक्षा- भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। अनेक धर्मों वाले इस देश में धर्म निरपेक्षता के महत्त्व को स्वीकार कर 42वें संविधान के संशोधन द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। सभी धर्मों को सम्मान देने के विचार से अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षण संस्थायें स्थापित करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया। संविधान के अनुसार राज्य किसी संस्था को सहायता देता हो, तब भी वह उसके द्वारा दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को दखल नहीं कर सकता।

धारा 25 (1)– नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की व्याख्या करती है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

धारा 28 (2)– के अनुसार यदि संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित हो जिसके प्रावधानों के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और वह राज्य द्वारा संचालित की जाती हो तो ऐसी संस्था को धारा 28 (1) के प्रावधानों की अनिवार्यता से मुक्त रखा जायेगा।

धारा 28 (3)– व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने पर पावन्दी लगाती है।

धारा 30 के अनुसार धर्म व भाषा के आधार पर किसी भी संस्था को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

धारा 21 के अनुसार किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता।

धारा 22 (2) के अनुसार सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाये जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

(6) दृश्य-सामग्री- धारा (49) के अनुसार राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करें।

(7) शैक्षिक संस्थाओं में अवसरों की समानता (Equality of opportunity in Educational Institutions) **धारा 29 (1)**– के अनुसार धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता।

धारा 30 (1)– के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को चाहे किसी धर्म, वर्ग-जाति या भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने व संचालन करने का अधिकार है।

(8) मातृभाषा में शिक्षण (Instruction in Mother Tongue)- भारत अनेक भाषा-भाषियों का देश है। शिक्षा में मातृभाषा के महत्त्व को सभी शिक्षाविद् स्वीकार करते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखकर संविधान में प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है।

धारा 26 (1) के अनुसार भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसका संरक्षण करने का अधिकार है।

धारा 350 के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के

Scanned by TapScanner

कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

धारा 350 (A) में कहा गया है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का है।

(9) हिन्दी का संवर्धन- धारा (351) के अनुसार यह संघ का कर्त्तव्य होगा कि वह राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा के प्रसार व विकास को प्रोत्साहित करे ताकि वह भारत की संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सिद्धान्त में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है पर व्यवहारिकता में आज भी अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। अतः इस धारा को व्यवहारिक रूप देने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को सतत् प्रयास करने होंगे।

(10) स्त्री शिक्षा (Women's Education)- भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को संविधानवेत्ताओं ने स्वीकार किया और स्त्री-शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया।

धारा 15 (1) के अन्तर्गत राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

धारा 15 (3) में स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने में धारा (50) के प्रावधान आड़े नहीं आयेंगे।

(11) उच्च शिक्षा और शोध (Higher Education and Research)- संघ सूची के उपवन्ध (Intries) 63, 64, 65, 66 के माध्यम से कुछ विषयों पर केन्द्र सरकार का वर्चस्व स्थापित किया गया है जिन्हें केन्द्र सरकार स्वतंत्र रूप से अपने आधीन रख सकती है। इनमें प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित हैं-

(i) उपबन्ध 63- के अन्तर्गत संविधान लागू होने के समय वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जाने वाले संस्थान तथा संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ।

(ii) उपबन्ध 64- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएँ और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ।

(iii) उपबन्ध (65)- सभी संघीय अभिकरण तथा संस्थाएँ जो कि (अ) वृत्तिक, व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण जिसमें आरक्षी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी है। (ब) विशेष अध्ययनों एवं अनुसन्धानों की उन्नति के लिए। (स) अपराध अनुसंधान एवं उनमें प्राविधिक सहायता के लिए है।

(iv) उपबन्ध 66- उच्च शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण व शिक्षा सुविधाओं में समन्वय।

उपबन्ध (66) उच्च शिक्षा के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी अधिकार के तहत केन्द्र सरकार ने UGC, AITE (All India Council of Technical Education) ICAR (Indian Council of Agricultural Research), The Medical Council of India, The Bar Council of India, The Nursing Council of India, The Pharmacy Council of India, The Institute of Architecs, एवं The Institute of Accoutancy आदि की स्थापना की जो अपने-अपने क्षेत्र की अग्रणी संस्थायें हैं।

(12) कृषि-शिक्षा- अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि यदि राज्य चाहे या वह यह उत्तरदायित्व उठाने के लिए सजग हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करके, नस्लों का संरक्षण व सुधार करने के लिए कदम उठा सकता है।

(13) विदेशों के साथ शैक्षिक सांस्कृतिक सम्बन्ध (Educational and Cultural relations with Foreign Countries)- उपबन्ध (13) संघसूची के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स, संस्थाओं व अन्य समितियों में भागीदारी तथा वहाँ पर स्वीकृत निर्णयों का क्रियान्वयन केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

Scanned by TapScanner